दस रुपये TEN RUPEES

199

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–टीकमगढ R 2009-III/14

श्री डी.डी. द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 3-7-14 को प्रस्तुत

3-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कमलसिंह पुत्र खलकसिंह ठाकुर,
2. रामकिशोर खटीक पुत्र श्री हरप्रसाद निवासीगण – विंदपुरा, तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1. मुन्नालाल पुत्र श्री परमु कुशवाहा, निवासीगण विंदपुरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा– कलेक्टर, टीकमगढ़ (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, ग्राम विंदपुरा, में स्थित भूमि खसरा नम्बर 710/1/1/2 तहसील तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में एक जनहित याचिका क्रमांक 5795/2014 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2014 से यह आदेश दिया कि याचिकाकत्ताओं के अभ्यावेदन पर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर से अतिक्रमण हटाया जावे। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें आवेदक कमलसिंह पुत्र खलकसिंह ठाकुर, निवासी विंदपुरा द्वारा यह निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को यह निर्देश दिये गये है कि वे समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुनवाई कर सार्वजनिक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाया जाये।

3-7-14 S.K. Dwivedi

2. यहकि, आवेदक कमलसिंह द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि भूमि खसरा नम्बर 710/1/1 के मूल ट्रेस जिसकी नकल दिनांक 28.04.2014 को दी गयी है, में भूमि खसरा नम्बर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2009-एक/2014 जिला-टीकमगढ़

कमल सिंह व अन्य विरूद्ध मुन्नालाल व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 61/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-07-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

11.1.19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होंगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागंर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य